झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची WP (C) नंबर 3653/2020

मृत्युंजय शर्मा याचिकाकर्ता बनाम

- 1.बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय अपने रजिस्ट्रार, धनबाद के माध्यम से
- 2.कुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद
- 3.रजिस्ट्रार, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

... जत्तरदाता गण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए : श्री बैभव गहलौत, अधिवक्ता

उत्तरदाता-विश्वविद्यालय के लिए : श्री एके मेहता, अधिवक्ता

आदेश संख्या 04

वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

दिनांकः 07.01.2021

वर्तमान रिट याचिका अधिसूचना सं. BBMKU/R/111/2020 दिनांक 29.01.2020 (रिट याचिका के अनुबंध-5) को प्रतिवादी सं. 3 निबंधक , बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद,के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई है- जिसके तहत झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 60 का उल्लंघन करते हुए एक नियमित शासी निकाय के स्थान पर स्वामी सहजानंद कॉलेज, चास, बोकारो के 3-सदस्यीय तदर्थ शासी निकाय का गठन किया गया है (इसके बाद "अधिनियम, 2000" के रूप में संवर्भित) आर/डब्ल्यू क़ानून 32 के संबंध में शासी निकाय, जैसा कि कुलपित द्वारा पत्र सं. MLU-30/80-GS (I) दिनांक 12.02.1982 द्वारा अनुमोदित किया गया है।प्रतिवादी 2 और 3 को निर्देश जारी करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है कि अधिनियम की धारा 60 के अनुसार सह पठित क़ानून 32, जैसा कि कुलपित द्वारा पत्र सं MLU-30/80-450 GS (I) दिनांक 12.02.1982 के द्वारा अनुमोदित के अंतर्गत स्वामी सहजानंद कॉलेज, चास, बोकारो के लिए एक नियमित शासी निकाय का गठन किया जाय याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं. 2 और 3 को यह निर्देश जारी करने का प्रार्थना किये है कि

स्वामी सहजानंद कॉलेज, चास, बोकारो के नियमित शासी निकाय में दानदाता सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता का सह-चयन करने के लिए अधिसूचना सं. BBMKU/R/755/2019 दिनांक 29.07.2019 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 3 हस्ताक्षर के तहत जारी करने के लिए प्रार्थना की है।

- 2. पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता को सुनने और रिट याचिका में की गई प्रार्थना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं. 2 के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर कुलपित बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के सामने एक नया प्रतिनिधित्व देने की स्वतंत्रता दी जाती है, उक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने पर, प्रतिवादी सं. 2 सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, प्रतिनिधित्व दाखिल करने की तारीख से तीन महीने की अविध के भीतर इस संबंध में एक सूचित निर्णय लेगा।
- 3. तदनुसार रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)

मनीष